न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमति सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 27 / 16

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्री श्यामसिंह भाटी पुत्र श्री उदयसिंह भाटी उम्र 36 वर्ष (एफबीओ / मालिक) फर्म रिलायंस फ्रेश लिमिटेड, प्लॉट संख्या 24, शिव मंदिर, बालासती राजकीय चिकित्सालय के सामने, जोधपुर। नि. :– ग्राम लोहारकी, तह. पोकरण, जिला जैसलमेर हाल–जोधपुर। 2. श्री अमर गुप्ता पुत्र श्री वी.के. गुप्ता (नोमिनी) मैसर्स रिलायंस फ्रेश लिमिटेड, प्लॉट नं. 24, शिव मंदिर, बालासती राजकीय चिकित्सालय के सामने, जोधपुर। नि. :– ग्राम लोहारकी, तह. पोकरण, जिला जैसलमेर हाल–जोधपुर। 3. फर्म मैसर्स रिलायंस फ्रेश लिमिटेड, प्लॉट नं. 24, शिव मंदिर, बालासती राजकीय चिकित्सालय के सामने, जोधपुर। 4. फर्म मैसर्स रिलायंस रिलायंस रिटेल लिमिटेड, आर.आर.एल. जयपुर वी.के.आई. डिस्ट्रीब्यूटशन, सेन्टर, रिलायंस लिमिटेड, जयपुर। 5. श्री हरिराम अग्रवाल पुत्र श्री मोहनलाल अग्रवाल, (मालिक / निदेशक) मैसर्स नव हरी फुड प्रोडक्टस प्रा. लिमिटेड, एफ–210, बिच्छवल इण्डस्ट्रीयल एरिया, राजस्थान, 334006 निवासी–बच्छावतों का मोहल्ला, बीकानेर–334001। 6. श्री मदनलाल अग्रवाल पुत्र श्री मोहनलाल अग्रवाल (मालिक / निदेशक) मैसर्स नवहरी फूड प्रोडक्टस प्रा. लिमिटेड, एफ–210 बिच्छवल इण्डस्ट्रीयल एरिया, राजस्थान, 334006 निवासी–बच्छावतों का मोहल्ला, बीकानेर–334001। 7. फर्म मैसर्स नव हरी फूड प्रोडक्ट्स प्रा. लिमिटेड, एफ–210, बिच्छवल इण्डस्ट्रीयल एरिया, राज. 334006।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 10.10.2014 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मैसर्स रिलायंस फ्रेश लिमिटेड, प्लोट नं. 24, शिव मंदिर, बालासती राजकीय चिकित्सालय के सामने रातानाड़ा, जोधपुर पहुँच कर निरीक्षण करने दौरान बेसन के लड्डू (रिलायन्स उत्सव) के 500 ग्राम के 240 पैकेट्स स्टोर की रैक्स पर आम जनता को विक्रय हेतु रखा था। उक्त बेसन के लड्डू (रिलायंस उत्सव) 500 ग्राम के 4 मूल पैकेट्स नमूना संख्या एम–600 वास्ते जांच मिलावट / अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के रूपये 398 / – नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है। खरीदसुदा बेसन के लड्डू के चारों पैकेट्स पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एम–600 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–600 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर कोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर

किये। जिस सीले से नमूना एम–600 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।

2. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि बेसन के लड्डू (रिलायंस उत्सव) के चारों नमूना पैकेट्स को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–600 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस/582/एक्ट/2014/634 दिनांक 31.10.2014 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–600 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

3. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता ने जवाब पेश किया जो इस प्रकार :–

यह है कि खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1) (जेड.एफ.) (सी) (प्रथम) के अनुसार मिथ्याछाप को परिभाषित किया गया है–

- Section 3(1)(zf)(c)(i) of food safety styandard act, 2006 state that misbrand food means on article of food it the article contained in the pachage contains an artificial flavoring, coloring or chemical preservative and the package is without a declaratory label stating that fact or is not labeled in accordance with the requirements of this act of regulations made thereunder or is contravention thereof;

उपरोक्त परिभाषा के अंतर्गत उक्त जब्त सूदा बेसन के लड्डू की पैकिंग के संदर्भ में यह उल्लेख करना आवश्यक है कि बेसन के लड्डू प्लास्टिक ट्रे में भरकर उसे कार्डबोर्ड के पैकेट से पैक किया जाता है एवं उक्त कार्डबोर्ड के पैकेट पर खाद्य पदार्थ के संदर्भ में संपूर्ण विवरण अंकित किया जाता है व कार्डबोर्ड का पैकेट प्लास्टिक के रैपर से सिल्ड था इस संबंध में खाद्य निरीक्षक द्वारा उक्त जब्त किये गये लड्डू की जब्ती बनाते वक्अ फार्म नम्बर 5–ए में अंकित किया है। इससे स्पष्ट है कि उक्त विक्रय की जा रही खाद्य वस्तु पर बैच नम्बर निर्माण की तारीख, इस्तेमाल की तारीख, निर्मित पदार्थ, इन्ग्रीडियंटन्स् की जानकरी अंकित थी जबकि खाद्य निरीक्षक द्वारा जांच करते वक्त भीतरी प्लास्टिक ट्रे जो की लड्डू को सुरक्षित रखने व बिखरने से बचाने हेतु लगाई जाती है जिस पर उक्त सूचनाऐं अंकित नही होने के कारण उक्त अधिनियम व नियम का उल्लघंन माना है जबकि खाद्य सुरक्षा व नियम में कंही पर भी यह अंकित नहीं है कि डब्बे बंद पदार्थ के अंदर मौजूद खाद्य पदार्थ की सुरक्षा हेतु की गई पैकेजिंग पर भी उक्त सम्पूर्ण विवरण अंकित होना आवश्यक है। इस प्रकार अप्रार्थीगण का उक्त मामला उपरोक्त परिभाषा के अनुसार किसी भी प्रकार के उल्लघंन में नहीं आता इस कारण उक्त परिवाद खारिज किये जाने योग्य है।

- यह है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 77 के अनुसार स्पष्ट अंकित है कि किसी भी न्यायालय को अपराध करने की तारीख से 1 वर्ष पश्चात ऐसे अपराध का प्रसंज्ञान लेने का अधिकार नहीं है लेकिन खाद्य सुरक्षा कमिश्नर द्वारा लिखित में देरी होने के कारणों का उल्लेख करने पर उक्त परिधि तीन वर्ष तक बढा सकता है। यहां यह उल्लेख किय जाना आवश्यक है कि अप्रार्थीगण के विरूद्ध मामला दिनांक 10.10.2014 को दर्ज किया गया तथा दिनांक 13.10.2014 को उक्त जब्त सुदा लडडू जांच हेतु भिजवाये गये जिसकी रिपोर्ट दिनांक 31.10.2014 को खाद्य विश्लेषक द्वारा दे दी गई तत्पश्चात खाद्य निरीक्षक द्वारा दिनांक 08.10.2015 को एक पत्र जरिये रजिस्टर्ड पत्र द्वारा भिजवाने का कथन किया जबकी उक्त रजिस्टर्ड पत्र दिनांक 20.10.2015 को मैसर्स नवहारी फूड प्रोडक्टस, एफ–210 बिछवल इण्डस्ट्रीयल एरिया, बीकानेर राज. 344006 को जरिये रजिस्टर्ड पत्र भिजवाया गया जो कि रजिस्टर्ड पत्र की रसीद से स्पष्ट है एवं इसी आधार पर खाद्य कमिश्नर से अधिनियम की धारा 77 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रसंज्ञान लिये

जाने हेतु अवधि बढाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है एवं खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए उक्त प्रकरण हेतु समय सीमा 31 जुलाई 2016 तक बढा दी गई। यहां यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण समय सीमा में लाने के उद्देश्य से उक्त दर्ज की गई कार्यवाही दिनांक 10.10.2014 के पश्चात दिनांक 10.10.2015 तक पूर्ण करनी थी परंतु खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त कार्यवाही अवधि समाप्त होने के पश्चात दिनांक 20.10.2015 को रजिस्टर्ड पत्र अप्रार्थी निर्माता को प्रेषित किया जिस पर दिनांक 08.10.2015 उक्त पत्र पर बदनियति पूर्वक अंकित की गई जबकि उक्त पत्र दिनांक 20.10.2015 को रजिस्टर्ड पत्र द्वारा प्रेषित किया इससे स्पष्ट है कि खाद्य सुरक्षा निरीक्षक द्वारा प्रेषित किय गये रजिस्टर्ड पत्र द्वारा बदनियति पूर्वक पूर्वागृह से ग्रसित होकर पत्र पर दिनांक 08.10.2015 अंकित की गई एवं इसी के आधार पर आयुक्त खाद्य सुरक्षा अधिनियम से अवधि बढाने की प्रार्थना की गई जिसे स्वीकार कर आयुक्त खाद्य सुरक्षा द्वारा विधि में उल्लेखित प्रावधानों का उल्लघंन किया है क्योंकि अवधि बाधित प्रकरण हेतु अवधि बढाने की प्रार्थना विधि की मंशा के विरूद्ध होने से ऐसे प्रसंज्ञान की तारीख नहीं बढाई जा सकती एवं ऐसे मयाद बाहर प्रकरण को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जो विधि अनुसार अगृहय होने से अप्रार्थीगण 1 से 4 के विरूद्ध प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है।

अतः प्रारम्भिक आपत्तियाँ प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त प्रारम्भिक आपत्तियाँ रेकर्ड पर ली जाकर निम्नअ अनुतोष अप्रार्थीगण क्रम 1 से 4 के पक्ष में आदेशित फरमाने की कृपा करावें:–

(क) खाद्य निरीक्षक द्वारा दी गई रिपोर्ट को अवैध व शून्य प्रभावी घोषित किया जावे।

(ख) खाद्य निरीक्षक द्वारा उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को निरस्त किया जावे एवं अप्रार्थीगण के विरूद्ध की गई कार्यवाही को मनसुख फरमाया जावे।

इसी प्रकार अप्रार्थीगण 5 से 7 की ओर से जवाब पेश किया गया की:–

That the contents of para no. 20 & 21 are not admitted and the order dated 16.05.2016 passed by the learned Commissioner, Food Safety, is a non-speaking order and without due application of mind. Further, the order states no reason for the extension granted for the prosecution, because as per Section 77 of the Act of 2006, no court shall take congnizance of offence under this act after the expiry of one year from the date of commission of an offence. Although, a proviso has been appended to this section which make it mandatory for the Commission of food safety to record in writing, the reason for extension of presecution. Whereas, the order dated 16-05-2016 is a non speaking order and passed without due application of mind because no reason has been stated for grant of extension to launch prosecution after expiry of one year. Therefore, all the proceedings initiated becomes void ab-initio because the statutory and prodedutal compliances were not done. Hence, the order dated 16-05-2016 deserves to be quashed and set aside and the prosecution be dropped against the answering-respondents.

It is, therefore, most respectfully prayed that the complaint filed against the answering-respondents be dismissed with costs and all the proceedings initiated after 10-10-2014 deserves to be quashed, set aside and dismissed.

प्रकरण में बहस के दौरान अप्राथीगण सं 1 से 4 के अधिवक्ता ने उपस्थित हुऐ तथा जवाब तथ्यों को दौहराते हुए पैकेजिंग का कार्य उनके द्वारा नहीं किये जाने के कारण उनके विरूद्ध कार्यवाही को मनसूख फरमाने हेतु निवेदन किया। अवगत करवाया की पैकेजिंग की कार्यवाही निर्माता फर्म 5 से 7 द्वारा किया जाता है। बहस के अनेक अवसर देने के बावजुद भी अप्रार्थीगण 5 से 7 के अधिवक्ता आवाज लगाई जाने के बाद भी अनुपस्थित रहे।

4. पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण सं. 1 से 7 के जवाब का अवलोकन किया गया तथा बहस सुनी गई मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थीगण 5 से 7 खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 के दोषी हैं। यदि वे पब्लिक हैल्थ लेबोट्ररी जोधपुर की फूड ऐनेलेसिस रिपोर्ट दिनांक 31.10.2014 के विरूद्ध अप्रार्थीगण अपील कर सकता था। परन्तु बावजुद सूचनार्थ अप्रार्थीगण 5 से 7 ने निर्धारित तीस दिवस की अवधी में धारा 46 की उपराधा 4 के अधीन

फार्म संख्या 8 में नहीं की न ही न्यायालय हाजा में बहस हेतु पेश प्रस्तुत हुवे अतः मैं फूड़ ऐनालिसिस की रिपोर्ट से सहमत हूँ तथा अप्रार्थीगण संख्या 5 से 7 पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(2) एवं धारा 52 के तहत दोषी पाये जाने से अप्रार्थीगण 5 से 7 पर रूपये 15000/- प्रत्येक अक्षरे रूपये पन्द्रह हजार (प्रत्येक) की शास्ति आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थी उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ....के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 7/7/17 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला
मजिस्ट्रेट (शहर) जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक / कोर्ट / 2017 / 1536-1544 दिनांक : 07/07/2017

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।
02. श्री रजनीश शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।
03. श्री श्यामसिंह भाटी पुत्र श्री उदयसिंह भाटी उम्र 36 वर्ष (एफबीओ / मालिक) फर्म रिलायंस फ्रेश लिमिटेड़, प्लॉट संख्या 24, शिव मंदिर, बालासती राजकीय चिकित्सालय के सामने, जोधपुर। नि. :– ग्राम लोहारकी, तह. पोकरण, जिला जैसलमेर हाल–जोधपुर।
04. श्री अमर गुप्ता पुत्र श्री वी.के. गुप्ता (नोमिनी) मैसर्स रिलायंस फ्रेश लिमिटेड़, प्लॉट नं. 24, शिव मंदिर, बालासती राजकीय चिकित्सालय के सामने, जोधपुर। नि. :– ग्राम लोहारकी, तह. पोकरण, जिला जैसलमेर हाल–जोधपुर।
05. फर्म मैसर्स रिलायंस फ्रेश लिमिटेड़, प्लॉट नं. 24, शिव मंदिर, बालासती राजकीय चिकित्सालय के सामने, जोधपुर।
06. फर्म मैसर्स रिलायंस रिलायंस रिटेल लिमिटेड़, आर.आर.एल. जयपुर वी.के.आई. डिस्ट्रीब्यूटशन, सेन्टर, रिलायंस लिमिटेड़, जयपुर।
07. श्री हरिराम अग्रवाल पुत्र श्री मोहनलाल अग्रवाल, (मालिक / निदेशक) मैसर्स नव हरी फुड प्रोडक्टस प्रा. लिमिटेड़, एफ–210, बिच्छवल इण्डस्ट्रीयल एरिया, राजस्थान, 334006 निवासी–बच्छावतों का मोहल्ला, बीकानेर–334001।
08. श्री मदनलाल अग्रवाल पुत्र श्री मोहनलाल अग्रवाल (मालिक / निदेशक) मैसर्स नवहरी फूड प्रोडक्टस प्रा. लिमिटेड़, एफ–210 बिच्छवल इण्डस्ट्रीयल एरिया, राजस्थान, 334006 निवासी–बच्छावतों का मोहल्ला, बीकानेर–334001।
09. फर्म मैसर्स नव हरी फूड प्रोडक्ट्स प्रा. लिमिटेड़, एफ–210, बिच्छवल इण्डस्ट्रीयल एरिया, राज. 334006।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला
मजिस्ट्रेट (शहर) जोधपुर